"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2014—फाल्गुन 16, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 3-4/2013/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-05-2013 द्वारा जिला बीजापुर के थाना गंगालूर के ग्राम एड्समेटा के नजदीक सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री व्ही.के.अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष म.प्र. शुल्क नियामक न्यायाधिकरण, भोपाल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013 द्वारा आयोग के कार्यकाल में छ: माह की वृद्धि की गई थी, जिसकी समयावधि दिनांक 18-02-2014 को समाप्त हो रही है. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 19-02-2014 से दिनांक 18-08-2014 तक पुन: छ: माह की और समयवृद्धि करता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2013 द्वारा जिला बस्तर के दरभा थानान्तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में घटित नक्सली घटना की जांच हेतु न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर के अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013 द्वारा आयोग के कार्यकाल में छ: माह की वृद्धि की गई है, जिसकी समयावधि दिनांक 27-02-2014 को समाप्त हो रही है.

2. चूंकि जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-02-2014 से दिनांक 27-08-2014 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 3-6/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-08-2011 द्वारा, थाना चांदो अन्तर्गत ग्राम नवाडीह, चेड़रा नाला के किनारे हुई पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखो की मृत्यु की न्यायिक जांच के लिए श्रीमती अनिता झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-02-2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29-05-2012 द्वारा आयोग के कार्यकाल में 6-6 माह, अधिसूचना दिनांक 29-11-2012 द्वारा तीन माह, अधिसूचना दिनांक 28-02-2013 द्वारा छ: माह एवं पुन: अधिसूचना दिनांक 30-07-2013 द्वारा छ: माह की समयवृद्धि की गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-02-2014 से दिनांक 27-08-2014 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम-3 में अंकित परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 138 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित किया जाता है :—

अनुक्रमांक — 139 व्यायाम उपकरण
(i) फिसलपट्टी
(ii) सी-सा झुला (डबल)
(iii) मेरीगो राउन्ड

(iv) सामान्य झूला
(v) सिंगल बार
(vi) डबल बार
(vii) आर्च स्वींग डबल
(viii) किड्स गो राउन्ड
(ix) काम्बिनेशन सेट
(x) ओशियन वेब
(xi) रिवाल्वविंग प्लेटफार्म
(xii) वाकिंग बारेल
(xiii) मिनी हट्स विद् स्लाईड
(xiv) राकिंग बोर्ड
(xv) ब्रीज लीडर
(xvi) स्पाईरल स्लाईड

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी माना जायेगा.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का नंबर-9) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-08-2008 एवं 28-01-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है ताकि वे उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की अधिकारिता	राजस्व संभाग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक	बिलासपुर संभाग	राजस्व संभाग बिलासपुर एवं सरगुजा.
2.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक.	बस्तर संभाग	राजस्व संभाग रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर.

1. इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियम व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

2. उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-5/2008/11/(6).—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित 1998) क्रमांक 44 सन् 1973 की धारा-4 की उपधारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-01-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (4) में

विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कॉलम-3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम/पदनाम	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धाराएं	कार्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अजय चौबे, सहायक पंजीयक	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	राजस्व संभाग बिलासपुर एवं सरगुजा.
2.	श्री आर. आर. राजभानू, सहायक पंजीयक.	धारा-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39.	राजस्व संभाग बस्तर

1. इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियम व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा.

2. उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक-एफ 7-28/2013/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रामानुजगंज निवेश क्षेत्र, जिला सरगुजा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

रामानुजगंज निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, लुरगी एवं रामानुजगंज नगर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम रामानुजगंज, पुरानडीह, कमलपुर एवं कृष्णनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम नवापारा, ताम्बेश्वर नगर, भंवरमाल एवं कृष्णनगर की ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कनकपुर उर्फ टाटू, आरागाही, नवापारा, ताम्बेश्वर नगर एवं भंवरमाल ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 17-12-2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) के तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	वन उपज (2)	अधिसूचित तिथि (3)
1.	लाख	01-01-2015
2.	महुआ बीज	01-05-2015
3.	चिरौंजी	01-04-2015

No. F 13-7/2012/10-2.—The State Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to Clasuse (ii) of sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), and in supersession of earlier notification No. F 13-7/2012/10-2, dated 17-12-2013, hereby, specifies that the said Adhiniyam shall come into force in all the scheduled areas of the State of Chhattisgarh in relation to the forest produce specified in column (2) of the Schedule below from the dates specified in corresponding entries of column (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Forest Produce (2)	Notified Date (3)
1.	Lac	01-01-2015
2.	Mahua Seed	01-05-2015
3.	Chironji	01-04-2015

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 17-12-2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वन उपज के संबंध में, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) के तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	वन उपज (2)	अधिसूचित तिथि (3)
1.	इमली	01-01-2015
2.	प्राकृतिक कोसा कोकून	01-01-2015

No. F 13-7/2012/10-2.—The State Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to Clasuse (ii) of sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), and in supersession of earlier notification No. F 13-7/2012/10-2, dated 17-12-2013, hereby, specifies that the said Adhiniyam shall come into force in all the scheduled areas of the State of Chhattisgarh in relation to the forest produce specified in column (2) of the Schedule below from the dates specified in corresponding entries of column (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Forest Produce (2)	Notified Date (3)
1.	Imli	01-01-2015
2.	Natural Kosa Cocoon	01-01-2015

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-16/2007/12.—उत्तर बस्तर/नारायणपुर जिले के मातला रिजर्व फारेस्ट में स्थित "रावघाट भण्डार (रावघाट डिपॉजिट्स)" में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लौह अयस्क के भण्डार "ए" से "ई" के रूप में चिन्हांकित किये गये हैं, किन्तु उक्त भण्डारों के लिये विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ है. पूर्व उल्लिखित क्षेत्र में लौह अयस्क के भण्डारों की विशालता पर विचार करते हुए तथा वन की संवेदनशील समृद्ध जैव विविधता (रिच बायोडायवर्सिटी) को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि खनिज विकास के हित में शासकीय एजेन्सी द्वारा व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रीति में विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य क्रियान्वित किया जाये.

अतएव, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे क्षेत्र जिसमें पहले से ही खनिज रियायत स्वीकृत किया गया हो, को छोड़कर संचालनालय भौमिकी तथा खनि कर्म, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लौह अयस्क तथा अन्य सहबद्ध खनिजों के पूर्वेक्षण कार्य के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये अधिसूचित करती है. इस अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार नीचे सारणी में उल्लिखित अधिसूचित क्षेत्र में खनिज रियायत प्रदान नहीं किया जाये, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	खनिज का नाम (3)	क्षेत्र का नाम (4)	निर्देशांक (5)	टोपोशीट क्र. (6)
1.	उत्तर बस्तर/नारायणपुर	लौह अयस्क	मातला रिजर्व फारेस्ट, रावघाट भण्डार "ए" से "ई"	ए-19° 55' 00" : 81° 05' 30" बी-19° 55' 00" : 81° 07' 10" सी-19° 49' 07" : 81° 07' 10" डी-19° 49' 50" : 81° 08' 02" ई-19° 47' 06" : 81° 08' 02" एफ-19° 47' 06" : 81° 05' 30"	65 E/1

No. F 7-16/2007/12.—In "Rowghat Deposits" located in Matla Reserve Forest of North Bastar/Narayanpur District, the Geographical Survey of India earmarked as 'A' to 'E', the iron ore deposits but detailed prospecting has not been carried out for the said deposits. Considering the vast iron ore deposits in the aforementioned area and keeping in mind the sensitive rich biodiversity of the forest, it is essential that detailed prospecting work is carried out in a systematic and scientific manner by Government agencies in the interest of mineral development.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 74 of Mineral Concession Rules, 1960, the State Government, hereby, notifies the area for carrying out prospecting of iron ore and other associated minerals, except the areas to which mineral concession has already been granted, by Directorate of Geology and Mining, Raipur, Chhattisgarh, for a period of three years, from the date of its publication in the Official Gazette. During the period of enforcement of this notification, no mineral concession shall be granted in the notified area mentioned in the table below as per the provisions of sub-rule (2) of Rule 74 of the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name of Mineral (3)	Name of Area (4)	Coordinates (5)	Toposheet No. (6)
1.	North Bastar/ Narayanpur	Iron ore	Rowghat Deposits of Matla Reserve Forest, Deposits 'A' to 'E'	A- 19° 55' 00" : 81° 05' 30" B- 19° 55' 00" : 81° 07' 10" C- 19° 49' 07" : 81° 07' 10" D- 19° 49' 50" : 81° 08' 02" E- 19° 47' 06" : 81° 08' 02" F- 19° 47' 06" : 81° 05' 30"	65 E/1

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक 1-9/2011/ XII.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक J-13012/12/2013-IA-II (I), दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के परिपालन हेतु गौण खनिज साधारण रेत के खनन हेतु मायनिंग प्लान तैयार करने तथा अनुमोदन करने के लिए निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कार्य/शक्तियों के प्रयोग हेतु कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अधिकृत करता है :—

स. क्र. (1)	कार्य/शक्तियां (2)	अधिकारीगण (3)
1.	गौण खनिज साधारण रेत के खनन हेतु मायनिंग प्लान तैयार कराना.	जिले में पदस्थ ऐसे खनि निरीक्षक, जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारक हो, जिले में ऐसे अर्हताधारी खनि निरीक्षक पदस्थ नहीं होने पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म उपर्युक्त अर्हताधारी किसी अन्य खनि निरीक्षक को उस जिले हेतु अधिकृत कर सकेगा.
2.	गौण खनिज साधारण रेत के खनन हेतु मायनिंग प्लान का अनुमोदन.	जिले में पदस्थ ऐसे खनि अधिकारी/उप संचालक (खनि प्रशासन), जो भू-विज्ञान विषय के साथ स्नातक अथवा मायनिंग इंजीनियरिंग की उपाधि धारक हो, जिले में ऐसे अर्हताधारी खनि अधिकारी/ उप संचालक (खनि प्रशासन) पदस्थ नहीं होने पर संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म उपर्युक्त अर्हताधारी किसी अन्य खनि अधिकारी/उप संचालक (खनि प्रशासन) को उस जिले हेतु अधिकृत कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2002

क्रमांक/डी-4111/3136/3662/2002/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ावर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "राऊत गोवारी" के पश्चात् "रावत" को तथा सरल क्रमांक 33 (ब) पर सम्मिलित "माली (सैनी), मरार" जाति के पश्चात् "पटैल" (हरदिहा मरार) को निम्नानुसार विवरण के साथ शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
रावत	पशुपालन, दूध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना.	ब्राह्मण रावत तथा राजपूत शामिल नहीं है.
पटैल (हरदिहा मरार)	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन तथा बागवानी.	गांव के मुखिया-पटेल पद तथा अघरिया, धाकड़ आदि अन्य जाति जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2003

क्रमांक/डी-3599/1109/2003/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा पोबिया जाति को पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सरल क्रमांक 91 में सम्मिलित करता है. विवरण निम्नानुसार है :—

जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
पोबिया	खेती, मजदूरी	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. द्विवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 12 पर अंकित जातियों ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया (वृतिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया के साथ केवट के आगे केंवट शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 14 पर अंकित जातियों भुर्तिया एवं भुतिया के आगे भोरथिया, भोरतिया शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 78 पर अंकित जातियों बाया महरा/कौशल, वया के आगे बया शब्द स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 93 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत रौनियार जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
93	रौनियार	कृषि, पशुपालन, बैल/घोड़े पर समान लादकर घूम-घूम कर बेचना एवं मजदूरी.	इस समूह में वैश्य शामिल नहीं है

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ-19-33/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 92 स्थापित करते हुए उक्त अनुक्रमांक के तहत खर्रा, खडरा, खोडरा जातियों को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
92	खर्रा, खडरा, खोडरा	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना.	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2009

क्रमांक/एफ-10-3/25-3/09/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 36 में सम्मिलित "ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया" के पश्चात् "कसेर" को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के

अनुक्रमांक 03, अनुक्रमांक 16, अनुक्रमांक 39 तथा अनुक्रमांक 87 (10) के अंतर्गत निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :—

क्र.	अ.पि.व. की जाति सूची का अनुक्रमांक	पूर्व से सम्मिलित जाति	नवीन सम्मिलित जाति
1.	03	बैरागी, वैष्णव	थनापति
2.	16	भटियारा	हलवाई, गुरिया
3.	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलंबी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.	गबेल
4.	87 (10)	मनिहार	चुड़िहार

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुक्रमांक 94 एवं 95 स्थापित करता है तथा क्रमांक 94 के तहत बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द जातियों को एवं क्रमांक 95 के तहत झोरा जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :—

अनु. क्र.	जाति का नाम	जाति का परंपरागत व्यवसाय	कैफियत
94	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द	कुँआ, तालाब, बावली खोदना, खेतों में गड्ढा खोदना एवं मछली पकड़ना.	जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं.
95	झोरा	मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना.	मुख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते हैं. कुछ जनसंख्या रायगढ़ जिले में भी निवासरत हैं.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 01, अनुक्रमांक 03, अनुक्रमांक 05, अनुक्रमांक 12, अनुक्रमांक 23, अनुक्रमांक 25, अनुक्रमांक 32, अनुक्रमांक 33(अ), अनुक्रमांक 33 (ब), अनुक्रमांक 34, अनुक्रमांक 38, अनुक्रमांक 39, अनुक्रमांक 42, अनुक्रमांक 45, अनुक्रमांक 51 तथा अनुक्रमांक 59 पर अंकित प्रविष्टियों में जातियों के समक्ष उपजातियों के लिए अंकित कोष्टक "( )" को अल्प-विराम "," के द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :—

क्र.	अ.पि.व. सूची का अनु क्र.	नाम जाति /वर्ग समूह (पूर्व प्रविष्टि)	नवीन प्रतिस्थापन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रमांक 01	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, (राउत), महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत.
2	क्रमांक 3	बैरागी (वैष्णव)	बैरागी, वैष्णव

(1)	(2)	(3)	(4)
3	क्रमांक 5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया)	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया.
4	क्रमांक 12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), केंवट, कीर, ब्रितिया (वित्तिया), सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, केंवट, कीर, ब्रितिया, वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर जिले में), सोधिंया.
5	क्रमांक 23	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल, बघेले).	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले.
6	क्रमांक 25	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन), कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.	कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.
7	क्रमांक 32	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार), अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी.
8	क्रमांक 33 (अ)	काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य), कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.	काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.
9	क्रमांक 33 (ब)	माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार
10	क्रमांक 34	जोशी (भड्डारी), डकोचा, डकोता	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता
11	क्रमांक 38	कुम्हार (प्रजापति) कुंभार	कुम्हार, प्रजापति, कुंभार
12	क्रमांक 39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैली (गमैल), सिरवी.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी.
13	क्रमांक 42	कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना
14	क्रमांक 45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.	नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे.
15	क्रमांक 51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेली, ठाठ, साहू, राठौर
16	क्रमांक 59	लोढा (तंवर)	लोढा, तंवर

2. जिन जातियों के कोष्टक हटाये जा रहे हैं, उन जाति के विद्यार्थियों को जारी की गयी अंकसूचियों में अंकित जाति में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002.—यत: राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिषेध किया जाये.

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का, तारीख 10 फरवरी, 2014 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति (पर्सनेल)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्र. एफ 4-03/गृह-सी/2002, नया रायपुर दिनांक 10-02-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Naya Raipur, the 10th February 2014

No. F 4-03/Two/Home-C/2002.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expendient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hreby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 10 February, 2014.

SCHEDULE

"Personnel appointed for all the works relating to the examination of the Board of Secondary Education in the State."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Secretary.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1/442.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-02-2013 से श्री विजय सिंह, कार्यपालक निदेशक (टीएण्डसी) को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 01 वर्ष की अवधि के लिए के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. उक्त पद पर श्री विजय सिंह का कार्यकाल दिनांक 28-02-2014 को समाप्त हो रहा है. अत: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विजय सिंह का उक्त पद पर कार्यकाल दिनांक 28-02-2016 तक बढ़ाया जाता है.

3. श्री विजय सिंह के नियुक्ति की शेष सेवा शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-4/2014/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 39 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, एतद्द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 210 (1) (ख) (i) में निम्नानुसार अंत:स्थापित करता है :—

(i) "उस क्षेत्र की अधिकारिता वाला सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी या उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिसमें ऐसी स्थापना अवस्थित है जिसमें ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई. ऐसा सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी या उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मावलीय, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 6-143/2012/वा.कर./पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद से उपायुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन रुपये 7600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से

पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री उदयशंकर, सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग	उपायुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग.
2.	श्री तोरन लाल ध्रुव, सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.	उपायुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर संभाग क्रमांक-दो.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

3. श्री एच.एल.हिडको, उपायुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिरगहनी	0.965	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	बांसाझाल व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	3.493	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कंचनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्रमांक 27/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मिट्ठुनवागांव	0.433	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना पूरक मुख्य नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बारीडीह	3.529	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कुआजति माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	निनवा प.ह.नं. 11	408/10	0.049	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना डिसनेट संभाग क्रमांक-3, रायपुर.	किरना वितरक नहर के शाखा निनवा माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		योग	1	0.049		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक/429/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 42 अ./82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1618	0.12
योग	1	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत लेयर-2 सेक्टर-3 रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक/430/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 40 अ./82 वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-पलौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	53/1	0.12
	53/2	0.24
	140/3	0.14
	258	0.03
	267	0.04
	1444	0.87
	1618	0.49
	1782	0.25
योग	8	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 13 फरवरी 2014

क्रमांक 1244/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-खडगवां

(ग) नगर/ग्राम-पड़िता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	176	0.15
	181	0.05
	216	0.20
	218	0.16
योग	4	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चिरमिरी खडगवां के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 03/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गरियाबंद

(ख) तहसील-गरियाबंद

(ग) नगर/ग्राम-आमदी, प. ह. नं. 41/22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	632	0.04
	640	0.03
	641	0.03
	700	0.01
	701	0.01
	703	0.08
	702	0.01
	704	0.04
	712	0.01
	706	0.10
	710	0.10
	713	0.07
योग	12	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बायीं तट शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 04/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-कोकड़ी, प. ह. नं. 41/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1456	0.05
	1441	0.04
	1060	0.05
	1440	0.02
	1435	0.02
	1424	0.03
	1059/1	0.01
	1421	0.01
	1420	0.02
	1397	0.03
	1401	0.03
	1160	0.01
	1402	0.03
	1404	0.02
	1405	0.01
	1312	0.04
	1313	0.07
	1308/1	0.03
	1164	0.02
	1100	0.05
	1166	0.06
	1423	0.02
	1161	0.02
	1153	0.02
	1101	0.01
	1155	0.01
	1151	0.03
	1156	0.01
	1098	0.02
	1174	0.01
	1097	0.04
	1058	0.03
	1097	0.04
	770	0.01
	774	0.01
	1352	0.09
	1357	0.01
	1349	0.02
योग	38	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बायीं तट शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 05/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-पारागांव, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.03
2	0.12
38	0.02
69	1.17
70	0.01
71	0.08
82	0.04
203	0.02
205	0.09
206	0.10
208	0.09
209	0.03
245	0.03

(1)	(2)
246	0.01
247	0.06
248	0.01
250	0.01
251	0.02
252	0.08
280	0.02
281	0.02
282	0.02
290/1	0.02
290/2	0.02
291	0.03
292	0.18
348	0.35
349/1	0.01
349/2	0.15
351	0.12
374/1	0.15
374/2	0.07
375	0.01
405/1	0.11
405/2	0.04
405/3	0.11
589	0.06
590	0.10
591	0.03
592	0.13
593/2	0.01
594/1	0.08
594/2	0.05
594/3	0.08
595	0.01
607	0.01
608	0.01
609	0.15
610	0.06
611	0.05
613	0.13
619	0.10
621	0.12
660	0.01
661	0.01
714	0.12
715	0.01
716	0.01
720	0.03
723	0.01
727	0.07
730	0.04
742	0.07
746	0.10
747	0.04
751	0.02
752	0.04
753	0.02
758	0.09
759	0.05
761	0.04
777	0.12
778/2	0.01
779	0.30
780	0.12
781	0.27
787	0.20
788	0.02
789	0.09
791	0.08
798	0.05
799	0.12
800	0.05
801	0.21
821	0.07
825	0.02
826	0.14
827	0.03
829	0.26
830/3	0.05
830/5	0.13
830/6	0.03
830/7	0.01
योग 93	7.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक/क/वा./भू.अ./प्र.क्र. 06/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-गरियाबंद, प. ह. नं. 25/अ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.747 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
823/1	0.187
826/1	0.053
1233	0.332
1228	0.109
1229	0.089
1242, 1243/3	0.182
1036/1	0.020
1045/10	0.028
1045/12	0.024
1045/14	0.028
1183/1	0.048
1236/1, 1236/2	0.004
1236/3	0.036
1237	0.012
1238/1	0.166
1177/2	0.012
1041/1	0.041
1232/4	0.008
740/1, 740/2	0.041
1008/2	0.154
1009	0.012
1038/1	0.041
1045/11	0.032
1141/2	0.024
1145/1	0.041
809/2	0.032
(1)	(2)
812	0.008
129	0.012
811	0.008
816/6	0.041
816/7	0.020
1016/3, 1017/7, 1017/8, 1017/9, 1017/10, 1019/4	0.062
1020/3, 1016/4	0.032
1017/18, 1017/13	0.162
741/1	0.008
1140/2	0.020
1141/3	0.004
1146	0.016
990/5	0.085
740/4	0.057
988/2	0.057
1230	0.065
813	0.012
991	0.004
1218/1	0.016
1036/7	0.028
1164	0.008
1185/1, 1217/1	0.101
128	0.028
989/1	0.016
729/1	0.020
1172/4	0.061
1170	0.016
1165/3, 1166/2, 1175/2, 1176/2	0.085
1163/1	0.049
1144/1	0.016
816/2	0.041
1049	0.024
1163/2	0.008
1013/2	0.069
186, 188/2	0.008
187	0.053
1041/1	0.045
1166/3	0.053
1216	0.036
1185/2, 1217/3	0.041
990/6	0.012
990/3	0.093
1041/3	0.146
731	0.101
1012/2	0.008
1032/1	0.012

(1)	(2)
1169	0.057
1190	0.032
1191/1	0.016
1191/2	0.15
1191/3	0.010
1191/4	0.012
1016/2	0.162
1019/3, 1023/2, 1022/1, 1022/2	0.060
1020/1	0.020
1022/3, 1033/3	0.020
1055/2	0.105
1243/2	0.105
1186	0.041
1036/6	0.012
1162	0.008
1165/1, 1168/1	0.449
1173	0.036
823/2	0.024
1050	0.229
1117	0.101
728 729/2	0.053
739/1	0.032
806/2, 807/1, 808/2, 809/1	0.137
816/3, 816/5	0.024
816/4	0.016
825, 826/2	0.036
1040	0.036
1069	0.640
1245	0.028
1055/1	0.166
1065/2, 1066/3, 1175/1, 1176/2	0.101
1017/6, 1017/8, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1019/1, 1020/1, 1048/2	0.146
1070	0.210
1215/2	0.016
1114/2	0.057
990/1	0.073
1063/4	0.117
1038/5	0.016
1163/7	0.013
1163/3	0.041
739/2	0.020
757/5, 757/8	0.036
757/6, 757/7	0.045
735/2	0.142
735/1	0.020
816/1	0.069
1036/2	0.008
1036/3	0.004
1231	0.101
1232/2	0.053
1232/3	0.036
1177/1	0.061
1178	0.057
योग	7.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट मुख्य नहर एवं शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत [redacted]र पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भिंभौरी, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	165/1	0.121
योग	1	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूतियापाट परियोजना के अन्तर्गत धनगांव वितरक के अन्तर्गत निर्माण हेतु अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पवनतरा, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.230 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.230
योग		0.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य नहर कर्रानाला बैराज परियोजना में अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र. 04 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनपुरी, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.077
योग		0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य नहर कर्रानाला बैराज परियोजना में अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र. 05 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भादूटोला, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.764 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1	0.764
योग	1	0.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य नहर कर्रानाला बैराज परियोजना में अमलीडीह वितरक नहर निर्माण हेतु अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 6 फरवरी 2014

रा. प्र. क्र. 05 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-जंगलपुर, प.ह.नं. 58
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1 नग कुंआ

	खसरा नम्बर	रकबा (नग में)
	(1)	(2)
	155	01 नग कुंआ
योग	1	01 नग कुंआ

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूतियापाट परियोजना के अन्तर्गत बरगांव माइनर के अन्तर्गत निर्माण हेतु अर्जन (पूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/79/भू-अर्जन/01-अ/82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-हितली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	176	0.60
योग	1	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-धौराभाठा एनीकट योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/81/भू-अर्जन/02-अ/82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बगरूमनाला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	111	0.06
	112	0.07
योग	2	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-धौराभाठा एनीकट योजना के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/83/भू-अर्जन/03-अ/82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-छुही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2285/1	0.09
	2285/2	0.12
	2286	0.05
	2319/2	0.01
योग	4	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पनबई नाला व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्रमांक/85/भू-अर्जन/02-अ/82 वर्ष 2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-पाहंदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171	0.02
172	0.05
173/1244	0.10
350	0.03
352	0.01
353	0.01
354	0.02
355	0.02
356	0.07
357	0.04
358	0.05
359	0.03

(1)	(2)
360	0.01
362	0.02
363	0.04
364	0.03
365	0.01
361	0.01
170	0.02
169	0.04

	(1)	(2)
	168	0.02
योग	21	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पाहंदा एनीकट निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय स्थानीय निधी संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.)

ब्लाक-एक, द्वितीय तल, कैपिटल काम्पलेक्स, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 104/2014

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2014

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा/2014/1276.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा माह जनवरी 2014 (दिनांक 06-01-2014 से 10-01-2014 तक) में आयोजित "छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो" में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

भाग-एक

क्र. (1)	रोल नम्बर (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पदनाम (4)
1.	14102	श्री मंदेश्वर प्रसाद गिंज	सहायक ग्रेड-2
2.	14103	श्री नारायण सिंह तंवर	सहायक संपरीक्षक
3.	14105	श्री अतुल कुमार अग्रवाल	सहायक संपरीक्षक
4.	14106	श्री लिंगुस खलखो	सहायक संपरीक्षक
5.	14108	श्री चैतन्य प्रभु जाटवर	सहायक संपरीक्षक
6.	14109	श्री सुरेन्द्र सिंह तेनगुरिया	सहायक संपरीक्षक
7.	14110	श्री दीपक कुमार परगनिहा	सहायक संपरीक्षक
8.	14111	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	सहायक संपरीक्षक
9.	14112	श्रीमती मिथिला गंधर्व	सहायक ग्रेड-2
10.	14113	श्री ताम्रध्वज साहू	सहायक संपरीक्षक
11.	14114	श्रीमती सुशीला एक्का	सहायक संपरीक्षक
12.	14115	कु. मिथिलेश्वरी शर्मा	सहायक संपरीक्षक
13.	14117	श्री रामकुमार सोनी	सहायक संपरीक्षक
14.	14118	श्रीमती सुषमा मिश्रा	सहायक ग्रेड-2
15.	14119	श्रीमती शैल ध्रुव	सहायक संपरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	14120	श्री रामेन्द्र कुमार जोशी	सहायक संपरीक्षक
17.	14121	कु. चन्द्रकिरण देवांगन	सहायक संपरीक्षक
18.	14122	सुश्री तस्मीन बानो	सहायक संपरीक्षक
19.	14123	श्रीमति मधुमति साहू	सहायक संपरीक्षक
20.	14124	श्री रमेश कुमार खुंटे	सहायक संपरीक्षक
21.	14125	श्री सतानंद वर्मा (प्रावधिक)	सहायक संपरीक्षक
22.	14126	श्री महेश कुमार चन्द्रा	सहायक ग्रेड-2

भाग-दो

1.	14201	श्री असीम कुमार चन्द्राकर	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
2.	14202	श्री छन्नूलाल देवांगन	सहायक संपरीक्षक
3.	14203	श्री भानुप्रताप सिंह पटेल	सहायक संपरीक्षक
4.	14204	श्री शम्भूनाथ खरे	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
5.	14205	श्री दिनेश सिंह	सहायक संपरीक्षक
6.	14206	श्रीमती ए. मीनाक्षी राव	सहायक ग्रेड-2
7.	14207	सुश्री गुपेश्वरी	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
8.	14208	श्रीमती गंगा कोरी	सहायक संपरीक्षक
9.	14209	श्री अनुराग शर्मा	सहायक संपरीक्षक
10.	14210	श्री अतीश कुमार मारकांडेय	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
11.	14211	श्री भागवत सिंह तोमर	सहायक संपरीक्षक
12.	14212	श्री फूलसाय सूर्यवंशी	सहायक संपरीक्षक
13.	14213	श्री कदम सिंह सिदार	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
14.	14215	श्रीमती सविता सिदार	सहायक संपरीक्षक
15.	14216	श्रीमती उषा चन्द्राकर	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
16.	14217	श्रीमती सरला साहू	सहायक संपरीक्षक
17.	14219	श्री नितिश शर्मा	सहायक संपरीक्षक
18.	14222	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद बांधे	सहायक संपरीक्षक
19.	14223	श्री अमर जीत भगत	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परिवीक्षाधीन)
20.	14224	श्री रामानुज ठाकुर	सहायक ग्रेड-2
21.	14230	श्री पंचेश्वर सिंह बघेल	सहायक संपरीक्षक

एन. के. शुक्ल,
संचालक.

कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

जी.ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

बायलर प्रचालन इंजीनियर (बी.ओ.ई.) परीक्षा
(आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 07-03-2014)

क्रमांक मुनिवा/ए-14/653/2014.—सूचित किया जाता है कि बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियरिंग में प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 06 से 09 मई- 2014 को कोरबा में आयोजित की जावेगी. परीक्षार्थी आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4×10 इंच साईज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र के डाक टिकिट लगे हों, भेजकर

प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') केवल शासकीय डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र परीक्षा शुल्क रु. 1500/- के मूल चालान के साथ निर्धारित प्रपत्र-'क' पर सम्पूर्ण विवरण के साथ भाग-IV में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित कर सचिव, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी.ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492001 में दिनांक 07-03-2014 तक या उसके पूर्व स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचने चाहिये. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

पात्रता :—

स. क्र.	शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अनुभव का प्रकार
1.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजी./इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री.	02 वर्ष	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया (रेटिंग) के बायलर का आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव.
2.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजी./इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिप्लोमा.	05 वर्ष	**या** बैटरी में जुड़े हुये बायलरों जिनका कुल हीटिंग सरफेस ऐरिया 1000 वर्ग मीटर से कम न हो जिनमें से एक बायलर कम से कम 500 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस ऐरिया का हो, आपरेशन और/या मेंटेनेंस में अनुभव.
3.	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/केमिकल / पावरप्लांट / प्रोडक्शन इंजी. / इंस्ट्रमेंटेशन इंजीनियरी में डिग्री एवं एन.पी.टी.आई. से पी.जी. डिप्लोमा.	01 वर्ष	
4.	एन.पी.टी.आई. से डिग्री.	01 वर्ष	

टीप तथा अन्य शर्तें :—

1. परीक्षक मंडल के निर्णय के अनुसार इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छत्तीसगढ़ में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा तथा अन्य राज्यों में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

2. आवेदन प्रपत्र 'क' के भाग-IV में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. अन्य व्यक्ति अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अमान्य है.

3. आवेदन प्रपत्र 'क' से भाग-I, II, III तथा IV के सभी कालम की पूर्ति की जावे. प्रपत्र 'क' में कांट-छांट अमान्य है. अपूर्ण आवेदन अथवा त्रुटिपूर्ण चालान अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त किये जावेंगे.

4. **परीक्षा शुल्क**— निर्धारित परीक्षा शुल्क रु. 1500=00 की राशि का चालान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अधिकृत बैंक में निम्नलिखित आयमद में जमा किया जावे :—

• 0230	—	श्रम तथा रोजगार
00	—	.. ..
103	—	भाप बायलरों हेतु निरीक्षण शुल्क (राज्य)
0000	—	.. ..

5. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2(डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है. एक ही अधिकारी द्वारा सेवा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर अमान्य है.

6. आवेदन प्रपत्र 'क' के साथ निर्धारित प्रारूप में सेवा तथा चरित्र प्रमाण पत्र, परीक्षा शुल्क का मूल चालान, स्वयं के चार पासपोर्ट साईज (50mm × 65mm) फोटो जो हाल ही में निकाले गये हों तथा जिनमें से दो के पीछे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर राजपत्रित अधिकारी या नियोक्ता से प्रमाणित हों, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी तथा आयु संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें.

7. दो सेवाओं के बीच 90 दिवस से अधिक का व्यवधान होने की स्थिति में आवेदक द्वारा कारण बताते हुए स्पष्टीकरण पत्र दिया जावे. एक से अधिक सेवाओं की स्थितियों में समस्त सेवाओं हेतु सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा.

8. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु दिनांक 01-02-2014 को 23 वर्ष पूर्ण होना चाहिए.

9. शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के बाद न्यूनतम अनुभव की गणना की जावेगी.

10. न्यूनतम अनुभव दिनांक 01-02-2014 की स्थिति में पूर्ण होना चाहिये.

11. बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के अनुसार अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा के किसी विषय से छूट का प्रावधान नहीं है. समस्त आवेदकों को लिखित परीक्षा के तीनों विषयों (बायलर इंजीनियरिंग-I, बायलर इंजीनियरिंग-II तथा ड्राइंग) में शामिल होना अनिवार्य है.

12. अपरिहार्य कारणों से यदि परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन होता है तो इसकी पूर्व सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जावेगी.

13. सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निम्नलिखित संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावे. अन्य किसी प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाणपत्र अमान्य है :—

सेवा तथा चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप

दिनांक ....
स्थान ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पदनाम .... आत्मज श्री .... हमारी ईकाई में दिनांक .... से दिनांक .... तक/आज दिनांक तक .... निम्नलिखित बायलरों के प्रचालन और/या रखरखाव का कार्य कर रहे हैं/थे.

हमारी ईकाई में स्थापित बायलर/बायलरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. बायलर पंजीयन/मेकर क्रमांक :
2. बायलर का प्रकार :
3. वर्किंग प्रेशर (कि. ग्राम प्रति वर्ग से.मी.) :
4. तापन सतह/रेटिंग (वर्ग मीटर) :
5. अंतिम निरीक्षण दिनांक :
6. क्या बायलर बैटरी में जुड़े हैं :

हमारी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र अच्छा है तथा इनकी जन्मतिथि .... है. यह प्रमाण-पत्र इनको छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत् प्रदान किया जा रहा है.

प्रमाणित किया जाता है कि :— (जो लागू न हो उसे काट देवें)

(अ) श्री .... हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत् हैं तथा इनका भविष्य निधि खाता क्रमांक .... है.

(ब) हमारी संस्था में आवेदक हेतु भविष्य निधि लागू नहीं है परन्तु श्री .... हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत हैं तथा उनका वेतन एवं उपस्थिति का अभिलेख हमारी संस्था में उपलब्ध है. उपरोक्त अभिलेख जांच/निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा.

बायलर अधिनियम 1923 की धारा 2 (डी) में घोषित बायलर मालिक/एजेन्ट का

प्रतिहस्ताक्षर .... हस्ताक्षर ....

नाम .... नाम ....

पदमुद्रा (सील) .... पदमुद्रा (सील) ....

मोबाइल नंबर .... मोबाइल नंबर ....

गुंजन शुक्ला,
सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/634/2014.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेन्डेन्ट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 14 जनवरी 2014 से दिनांक 16 जनवरी 2014 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	प्रमाणपत्र क्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)
1.	589	श्री कैलाश चन्द्र पटेल	श्री हरी राम पटेल
2.	590	श्री दिलीप कुमार साव	श्री श्याम सुंदर साव
3.	591	श्री नारायण कुमार साव	श्री कृष्ण चंद्र साव
4.	592	श्री त्रिभुवन लाल पटेल	श्री कामता प्रसाद पटेल
5.	593	श्री संगीतेश्वर कुमार महतो	श्री महेन्द्र प्रसाद महतो
6.	594	श्री शोमनाथ चन्द्रा	श्री झाडू राम चन्द्रा
7.	595	श्री अश्वनी कुमार चौहान	श्री करम नाथ चौहान
8.	596	श्री राम चरण पटेल	श्री दूज राम पटेल
9.	597	श्री संतोष कुमार सिंह	श्री उदय भान सिंह
10.	598	श्री रामचरण नामदेव	श्री लालू नामदेव
11.	599	श्री तारकेश्वर नाथ डनसेना	श्री चन्द्रभानू डनसेना
12.	600	श्री कैलाश कुमार लेंका	स्व. गोला लेंका
13.	601	श्री प्रकाश नारायण समरथ	श्री कन्हैया लाल समरथ
14.	602	श्री जगदीश प्रसाद गबेल	श्री विष्णु दयाल गबेल
15.	603	श्री गंगेश्वर चौहान	श्री पनीक राम चौहान
16.	604	श्री अजय कुमार यादव	श्री कांशी प्रसाद
17.	605	श्री प्रवीन कुमार मिश्रा	श्री राज नारायण मिश्रा
18.	606	श्री सालिक राम बघेल	श्री कन्हैया लाल बघेल
19.	607	श्री शेषनाथ	श्री लक्ष्मी प्रसाद

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	608	श्री लाभो राम साहू	श्री प्रताप सिंह साहू
21.	609	श्री पवनेश	श्री यमुना प्रसाद द्विवेदी
22.	610	श्री जीवन लाल विश्वकर्मा	श्री जंतराम विश्वकर्मा
23.	611	श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय	श्री बृज बिहारी उपाध्याय
24.	612	श्री दानी राम ध्रुव	श्री शोभित राम ध्रुव
25.	613	श्री भोपेन्द्र कुमार साहू	श्री छबि लाल साहू
26.	614	श्री प्रणव कुमार मंडल	श्री सूरज कान्त मंडल
27.	615	श्री नकुल प्रसाद पटेल	श्री सुन्दर लाल पटेल
28.	616	श्री देव कुमार चन्द्रा	श्री ओम प्रकाश चन्द्रा
29.	617	श्री धर्मेन्द्र कुमार मिरी	श्री रतन लाल मिरी
30.	618	श्री दिनेश कुमार गोड़	श्री राम प्रसाद गोड़
31.	619	श्री प्यारे लाल पटेल	श्री बेदनाथ पटेल
32.	620	श्री दिनेश कुमार वर्मा	श्री मोहन वर्मा
33.	621	श्री नरेश कुमार चौहान	श्री बेदराम चौहान
34.	622	श्री हेमन्त कुमार साहू	श्री प्यारी लाल साहू
35.	623	श्री परमेश्वर चौहान	श्री दूजराम चौहान
36.	624	श्री पंकज कुमार यादव	श्री राम मिलन यादव
37.	625	श्री तिलेश्वर प्रसाद साहू	श्री छेदूराम साहू
38.	626	श्री युधिष्ठिर पटेल	श्री कृष्ण चन्द पटेल
39.	627	श्री रामनारायण चक्रधारी	श्री पुनीत राम चक्रधारी
40.	628	श्री गजेन्द्र सिंह पवार	श्री शिव सिंह पवार
41.	629	श्री विश्वकर्मा केंवट	श्री जगदीश प्रसाद केंवट
42.	630	श्री श्रवण कुमार चौहान	श्री राम लाल चौहान
43.	631	श्री मुन्ना उके	स्व. कचरू लाल उके
44.	632	श्री अमित कुमार यादव	श्री राम खिलावन यादव
45.	633	श्री कौशल किशोर विशाल	श्री धनपत विशाल
46.	634	श्री कुलदीप कुमार पंकज	स्व. प्रधान राम पंकज
47.	635	श्री प्रमोद कुमार	स्व. शिव लाल सिंह
48.	636	श्री नरेश चन्द्र दास	स्व. नारायण चन्द्र दास
49.	637	श्री सुरेश जायसवाल	श्री परदेशी लाल जायसवाल
50.	638	श्री जगमोहन मरार	श्री श्याम सुन्दर मरार
51.	639	श्री अमन सिंह आरमो	श्री रतिराम आरमो
52.	640	श्री सुशांत कुमार चैनी	श्री अजोध्या प्रसाद चैनी
53.	641	श्री लक्ष्मीकांत वर्मा	श्री दयालू राम वर्मा
54.	642	श्री संकट मोचन ठाकुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद ठाकुर
55.	643	श्री कौशलेन्द्र कुमार	श्री तारकेश्वर प्रसाद
56.	644	श्री पवन कुमार भारद्वाज	स्व. पी. एल. भारद्वाज
57.	645	श्री रजनी कान्त कश्यप	श्री राज कुमार कश्यप
58.	646	श्री आलोक कुमार सिंह	श्री रामअवध सिंह
59.	647	श्री मनोज पटेल	श्री भवुन लाल पटेल
60.	648	श्री लकेश कुमार कंवर	स्व. जयसिंह कंवर
61.	649	श्री महेश कुमार धोबी	स्व. बुधराम धोबी
62.	650	श्री नीतिन कैलाशनाथ गुप्ता	श्री कैलाशनाथ गुप्ता
63.	651	श्री सामद बिस्वास	श्री हामिद बिस्वास
64.	652	श्री किशन कुमार साहू	श्री जुगरू साहू
65.	653	श्री हर प्रसाद पटेल	श्री गेंदराम पटेल
66.	654	श्री राजेश्वर श्रीवास	श्री राम मनोहर श्रीवास

(1)	(2)	(3)	(4)
67.	655	श्री दिनेश कुमार सिंह	श्री अनादि सिंह
68.	656	श्री ई. गोविंद राजू	श्री ई. कृष्णा
69.	657	श्री विकास बाबू पंडित	स्व. लक्ष्मीकान्त पंडित
70.	658	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह	श्री जन्गलेश्वर सिंह
71.	659	श्री राज कुमार साहू	श्री गजाधर साहू
72.	660	श्री अशोक कुमार चन्द्रा	श्री गोरे लाल चन्द्रा
73.	661	श्री सुरेश कुमार पटनायक	श्री खेड़ूराम पटनायक
74.	662	श्री देव कुमार यादव	श्री हरिमंगल यादव
75.	663	श्री छबीलाल खुंटे	स्व. पोठ राम खुंटे
76.	664	श्री सरोज कुमार केसरिया	श्री सुकदेव केसरिया
77.	665	श्री अभिषेक पटनायक	श्री महावीर प्रसाद पटनायक
78.	666	श्री नीलध्वज रत्नाकर	श्री राम कुमार रत्नाकर
79.	667	श्री हेमंत कुमार	श्री मोहित राम
80.	668	श्री तनकू राम हंसराज	श्री मोहित राम हंसराज
81.	669	श्री कृष्णा चौधरी	स्व. जवाहर लाल चौधरी
82.	670	श्री शिवजी यादव	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
83.	671	श्री पुरुषोत्तम विश्वाल	श्री मुक्ति विश्वाल
84.	672	श्री विमल कुमार दिवाकर	श्री गणेश राम दिवाकर
85.	673	श्री आर. प्रकाश रेड्डी	श्री आर. लिंगराज रेडी
86.	674	श्री नरेश कुमार साहू	श्री गिरधर साहू
87.	675	श्री गुलाब चन्द्र वर्मा	श्री शिवजन्म वर्मा
88.	676	श्री संतोष कुमार वर्मा	श्री टेंगरी प्रसाद
89.	677	श्री मोहित कुमार पैकरा	श्री हरि प्रेम पैकरा
90.	678	श्री राजेन्द्र कुमार जांगड़े	श्री केजऊ राम जांगड़े
91.	679	श्री केशव कुमार वर्मा	श्री नन्द कुमार वर्मा
92.	680	श्री बृजेश कुमार सोनी	श्री जागेश्वर प्रसाद सोनी
93.	681	श्री खोजराम दामोधर बुरडे	श्री दामोधर
94.	682	श्री मोहन लाल साहू	श्री परमा नंद साहू
95.	683	श्री राम गोपाल शर्मा	स्व. श्री दशरथ प्रसाद शर्मा
96.	684	श्री निरंजन प्रसाद साहू	श्री कमल नारायण साहू
97.	685	श्री प्रदीप कुमार साहू	श्री भावशंकर साहू
98	686	श्री धनेश्वर साहू	श्री तिजऊ राम साहू
99.	687	श्री पुष्कर साहू	श्री लक्ष्मण साहू
100.	688	श्री मुरली मनोहर मारकण्डे	श्री राम खिलावन मारकण्डे
101.	689	श्री दिनेश कुमार देवांगन	श्री दुखुवा राम देवांगन
102.	690	श्री ऋषिमुनि ठाकुर	श्री मित्तल ठाकुर
103.	691	श्री नितेश हुमने	श्री प्रहलाद हुमने
104.	692	श्री गोकुल प्रसाद साहू	श्री जैत राम साहू
105.	693	श्री आशीष कुमार मिश्रा	श्री सुदर्शन प्रसाद मिश्रा
106.	694	श्री मेघनाथ	श्री नहर सिंह
107.	695	श्री बिरबल सिंह	श्री अनंत राम
108.	696	श्री ढाल सिंह साहू	श्री अमरूत लाल साहू
109.	697	श्री शशॉक कुमार यदु	श्री एम. आर. यदु
110.	698	श्री गजेन्द्र सोनारे	श्री शंकर लाल सोनारे
111.	699	श्री सतीश चन्द्र साहू	श्री सीताराम साहू
112.	700	श्री निरज कुमार सिंह	श्री योगेन्द्र सिंह
113.	701	श्री सुनील कुमार	श्री रामलाल

(1)	(2)	(3)	(4)
114.	702	श्री यशवंत कुमार यादव	स्व. श्री जोहन लाल यादव
115.	703	श्री सुशांत कुमार सागल	श्री सूर्यमनी सामल
116.	704	श्री ताम्रध्वज कलामत	स्व. श्री गैंद लाल कलामत
117.	705	श्री शिव कुमार डहरिया	श्री सनदारस डहरिया
118.	706	श्री त्रिलोक चंद्र महावर	श्री पुरषोत्तम दास महावर
119.	707	श्री परसुराम निषाद	श्री कुंवरसीग निषाद
120.	708	श्री महेन्द्र कुमार कटरे	श्री भुवन लाल कटरे
121.	709	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	श्री शिव प्रसाद साहू
122.	710	श्री पारस माणि पाठक	श्री निवास पाठक
123.	711	श्री नन्द कुमार पाल	श्री रामदयाल पाल
124.	712	श्री वीरेन्द्र कुमार साहू	श्री संतोष कुमार साहू
125.	713	श्री अमित कुमार साहू	श्री सीता राम साहू
126.	714	श्री हरि शंकर यादव	श्री राजेन्द्र यादव
127.	715	श्री विमल कुमार देशमुख	श्री सुखराम देशमुख
128.	716	श्री डामन लाल	श्री अधार
129.	717	श्री राम प्रकाश यादव	श्री पंचम लाल यादव
130.	718	श्री रूपसिंग साहू	श्री पंचराम साहू
131.	719	श्री प्रमोद कुमार	श्री चंद लाल
132.	720	श्री समित कुमार साहू	श्री सीताराम साहू
133.	721	श्री चक्रधर साहू	श्री भुवनेश्वर साहू
134.	722	श्री जनकराम वर्मा	श्री सुधाराम वर्मा
135.	723	श्री जितेन्दु कुमार बैस	श्री कृष्ण कुमार बैस
136.	724	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	श्री दाऊलाल साहू
137.	725	श्री बालमुकेश आडिल	श्री लक्ष्मण आडिल
138.	726	श्री शिव कुमार साहू	श्री लालन साहू
139.	727	श्री सुरेश कुमार देवांगन	श्री सत्यनारायण देवांगन
140.	728	श्री संजीत कुमार साहू	श्री चितरंजन साहू
141.	729	श्री बसंत कुमार मारकण्डे	स्व. बिशेषर लाल मारकंडे
142.	730	श्री दिलीप कुमार वर्मा	श्री रिखी राम वर्मा
143.	731	श्री दुलेश कुमार यदु	श्री थानु राम यदु
144.	732	श्री भूपेन्द्र कुमार साहू	श्री विश्वनाथ साहू
145.	733	श्री कमल नारायण वर्मा	श्री रामजी वर्मा
146.	734	श्री राजकुमार तिवारी	श्री नरेन्द्र तिवारी
147.	735	श्री दुर्योधन प्रसाद यादव	श्री श्याम लाल यादव
148.	736	श्री रविशंकर चौधरी	श्री दवन लाल चौधरी
149.	737	श्री दिलीप कुमार साहू	श्री सूरज बली साहू
150.	738	श्री घनश्याम वर्मा	श्री चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा
151.	739	श्री सुग्रीव प्रसाद	श्री फुलेश्वर प्रसाद
152.	740	श्री कांती कुमार	श्री भगत सिंह
153.	741	श्री मंटु कुमार	श्री शिव नारायण
154.	742	श्री यादव विनोद कुमार	श्री राम अजोर
155.	743	श्री ओम प्रकाश निषाद	श्री जगदीश प्रसाद निषाद
156.	744	श्री श्रीकांत वर्मा	श्री रामसहाय वर्मा
157.	745	श्री सूरज दास माणिकपुरी	श्री राजकुमार माणिकपुरी
158.	746	श्री राकेश कुमार साहू	श्री दुलरवा साहू
159.	747	श्री संजय कुमार थापक	श्री श्याम नारायण थापक
160.	748	श्री ओमप्रकाश साहू	श्री शंभु राम साहू

(1)	(2)	(3)	(4)
161.	749	श्री राजू कुमार वर्मा	श्री गंगा राम वर्मा
162.	750	श्री पिंटु कुमार कुशवाहा	श्री उदयभान कुशवाहा
163.	751	श्री रामेश्वर कुमार	श्री बैजनाथ
164.	752	श्री त्रिभुवन प्रसाद वर्मा	श्री राम सजीवन वर्मा
165.	753	श्री राजाराव चिंटु	श्री अप्पा राव
166.	754	श्री ईश्वरी प्रसाद साहू	श्री संतराम साहू
167.	755	श्री पुरुषोत्तम	श्री कुवर सिंह
168.	756	श्री राधेश्याम शर्मा	श्री राम बरन सिंह
169.	757	श्री सिकंदर राय	श्री जई राय
170.	758	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	श्री प्रभु राम वर्मा
171.	759	श्री संदीप मौर्या	श्री रामचंद्र मौर्या
172.	760	श्री सुरेन्द्र कुमार	श्री सुखराम
173.	761	श्री ओम कुमार शर्मा	श्री जीवराखन शर्मा
174.	762	श्री डेलुराम साहू	श्री नानकराम साहू
175.	763	श्री राजेन्द्र कुमार	श्री नाथू राम
176.	764	श्री संतदास	श्री अर्जुन
177.	765	श्री चित्रकांत	श्री गोपाल प्रसाद वर्मा
178.	766	श्री चंद्रप्रकाश यादव	स्व. रवि लाल
179.	767	श्री नवीन कुमार वर्मा	श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा
180.	768	श्री लक्ष्मण फेकर	श्री कृष्ण कुमार फेकर
181.	769	श्री ललित कुर्रे	श्री हेमलाल कुर्रे
182.	770	श्री शैलेन्द्र प्रसाद	श्री राम प्रीत प्रसाद
183.	771	श्री हरीश कुमार वर्मा	श्री शिव कुमार वर्मा
184.	772	श्री सीता राम साहू	श्री गंगा राम साहू
185.	773	श्री आनंद कुमार महिलांग	श्री बनऊराम
186.	774	श्री राजेन्द्र वैष्णव	श्री परमेश्वर वैष्णव
187.	775	श्री घनश्याम सिंह ध्रुव	श्री बिशाल सिंह ध्रुव
188.	776	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय	श्री वाचस्पति पाण्डेय
189.	777	श्री हरीशचंद्र देवांगन	श्री रामरतन देवांगन
190.	778	श्री साहेब लाल बिजौर	श्री आनंद राम बिजौर
191.	779	श्री शशि कांत नायक	श्री नटवर नायक
192.	780	श्री भारत भूषण वर्मा	श्री श्याम लाल वर्मा
193.	781	श्री ऋषिकेश भीमकर	श्री शिवदास भीमकर
194.	782	श्री राकेश कुमार साहू	श्री सीताराम साहू
195.	783	श्री नेमराज प्रसाद वर्मा	श्री रामचरण लाल वर्मा
196.	784	श्री कृष्णगोपाल नाई	श्री सुंदर सिंह
197.	785	श्री रमेश कुमार जायसवाल	श्री भागीरथी जायसवाल
198.	786	श्री प्रेम कुमार	श्री लखन लाल
199.	787	श्री योगेश ठाकुर	श्री टीकाराम ठाकुर
200.	788	श्री अजीत कुमार	श्री राम प्रवेश प्रसाद
201.	789	श्री त्रिलोक कुमार साहू	श्री सीताराम साहू
202.	790	श्री शिव कुमार निर्मलकर	श्री खेलूराम निर्मलकर
203.	791	श्री टिकाराम वर्मा	श्री घनश्याम प्रसाद वर्मा
204.	792	श्री दयाशंकर ओझा	श्री ददन ओझा
205.	793	श्री ईश्वरी प्रसाद सोनी	श्री माखन लाल सोनी
206.	794	श्री पवन वैष्णव	श्री शिवचरन दास वैष्णव

फणीन्द्र कुमार भोई,
सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2014

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 01/बी-121/2013-14.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अधिसूचना क्रमांक 01 बी-121/2013-14 दिनांक 24-10-2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22-11-2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि	
				हेक्टेयर में	एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा/12	228/1	0.004	0.01
			229	0.016	0.04
			273/1	0.004	0.01
			234/6क	0.036	0.09
			228/2	0.012	0.03
			234/6ख	0.032	0.08
			275/4	0.008	0.02
			273/3	0.004	0.01
			235	0.024	0.06
			270/2क	0.036	0.09
			270/2ख	0.008	0.02
			272/1	0.004	0.01
			275/1	0.049	0.12
			272/2	0.004	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा/12	273/2	0.004	0.01
			275/3	0.020	0.05
			274	0.008	0.02
			275/2	0.008	0.02
			232/1	0.061	0.15
			227/1क	0.020	0.05
			227/2	0.020	0.05
		कुल खसरा संख्या	**21**	**0.382**	**0.95**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

तीर्थराज अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th January 2014

No. 84/Confdl./2014/II-1-2/2014.—As per Notification No. K. 13016/04/2013-US.II dated 23rd January, 2014 received from Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice) wherein the president of India is pleased to appoint Shri Inder Singh Uboweja and Shri Chandra Bhushan Bajpai to be Additional Judges of the High Court of Chhattisgarh and thereby Hon'ble Shri Justice Inder Singh Uboweja and Hon'ble Shri Justice Chandra Bhushan Bajpai have accordingly assumed charge as Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 27th January, 2014.

Bilaspur, the 31st January 2014

No. 939/CSJA/Ist Part Ind./2013 Batch/14.—The following newly appointed Civil Judges (Entry Level) as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh (Old High Court Building), Bilaspur on 10-02-2014 by 4.00 P.M. for undergoing the First Part of Institutional Training Programme to be held from 11th February, 2014 to 12th March, 2014.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Pawan Kumar Agrawal	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Pankaj Dixit	VX Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Mohd. Jahangir Tigala	III Civil Judge Class-II, Bilaspur

(1)	(2)	(3)
4.	Ku. Bushra Kamal	III Civil Judge Class-II, Ambikapur
5.	Smt. Ravinder Kaur	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Bhupat Singh Sahu	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
7.	Ku. Sakshee Dixit	I Civil Judge Class-II, Raigarh
8.	Shri Sheelu Singh	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Namita Anne Minj	II Civil Judge Class-II, Durg
10.	Shri Mohit Singh	Civil Judge Class-II, Kanker
11.	Shri Sumit Kumar Harsyana	II Civil Judge Class-II, Dantewada
12.	Shri Sumit Kumar Soni	V Civil Judge Class-II, Jagdalpur
13.	Ku. Manisha Thakur	I Civil Judge Class-II, Bemetara
14.	Shri Shyam Kumar Sahu	VI Civil Judge Class-II, Jagdalpur
15.	Ku. Anita Pradhan	II Civil Judge Class-II, Balod
16.	Shri Mahesh Babu Sahu	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Ku. Rajeshwari Suryawanshi	I Civil Judge Class-II, Surajpur
18.	Ku. Reshma Bairagi	I Civil Judge Class-II, Dhamtari
19.	Shri Satish Kumar Khakha	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
20.	Shri Nixion Daved Lakra	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
21.	Smt. Chandrakala Devi Sahu	II Civil Judge Class-II, Surajpur
22.	Shri Brijesh Rai	IV Civil Judge Class-II, Jagdalpur
23.	Shri Subodh Mishra	XII Civil Judge Class-II, Raipur
24.	Ms. Shubhda Goyal	III Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
25.	Shri Jeetendra Pradhan	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
26.	Vyankatesh Singh	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
27.	Shri Radheshyam Dhruw	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
28.	Ku. Sarojani Parmar	IV Civil Judge Class-II, Raipur
29.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa	IV Civil Judge Class-II, Ambikapur
30.	Ku. Akanksha Bhardwaj	I Civil Judge Class-II, Ambikapur
31.	Shri Vijendra Sonwani	XIII Civil Judge Class-II, Raipur
32.	Shri Girish Kumar Mandavi	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
33.	Shri Anand Borkar	VI Civil Judge Class-II, Durg
34.	Ku. Pratibha Markam	XIV Civil Judge Class-II, Raipur

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C.G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (with C.G. Rules)

Bilaspur, the 31st January 2014

No. 940/CSJA/Ist Part Inst/ADJ 2013/14.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2013 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh Bilaspur

on 10-02-2014 by 4.00 P.M. for undergoing the First Part of Institutional Training (Foundation Course) Scheduled to be held from 11th February, 2014 to 25th February, 2014.

TABLE

Sl. No.	Name of Addl. District & Sessions Judge	Posted as & at
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Sanjeev Kumar	II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur
2.	Shri Jaideep	Additional District & Sessions Judge, Kanker
3.	Shri Santosh Kumar Tiwari	IV Additional District & Sessions Judge, Ambikapur
4.	Shri Manvendra Singh	II Additional District & Sessions Judge, Dantewada
5.	Shri Rajbhan Singh	Additional District & Sessions Judge, Jashpurnagar
6.	Shri Mohan Prasad Gupta	II Additional District & Sessions Judge, Mahasamund

The above mentioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationary Rules

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 545/L.G./2013/II-3-10/2007.—Shri Sharad Gupta, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 07 days from 11-12-2013 to 17-12-2013 along with permission to leave headquarters from 10.00 a.m. of 11-12-2013 till 10.30 a.m. of 18-12-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Gupta, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 267 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 546/L.G./2013/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Buxy, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted commuted leave for 09 days from 03-12-2013 to 11-12-2013.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Buxy, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 368 days of half pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 547/L.G./2013/II-3-19/2000.—Shri Arvind Shrivastava, District & Sessions Judge Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 09-12-2013 to 13-12-2013 and permission to prefix holiday of 08-12-2013 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters from the evening of 07-12-2013 till before the office hours of 15-12-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 548/L.G./2013/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-12-2013 to 13-12-2013 and suffix holidays of 14th & 15th December, 2013 (2nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 10-12-2013 till 15-12-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 549/L.G./2013/II-3-20/2007.—Shri Shivmangal Panday, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 09 days from 03-12-2013 to 11-12-2013 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Panday, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 2nd January 2014

No. 550/L.G./2013/II-3-35/2008.—Shri Sypriel Xess, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 06 days from 23-12-2013 to 28-12-2013 and permission to prefix holidays of 21st & 22nd December, 2013 (3rd Saturday & Sunday) and suffix holiday of 29-12-2013 (Sunday) along with permission to remain out of H. Q. from 21-12-2013 till 29-12-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Xess, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 12/दो-3-10/2007.—श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 13/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-12-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 14/दो-2-21/2002.—श्री महादेव कातुलकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-12-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 15/दो-2-15/2007.—श्रीमति विमला सिंह कपूर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-12-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 16/दो-3-27/2008.—श्री अशोक कुमार पोद्दार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-12-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 17/दो-3-2/2006.—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक 18/दो-3-2/2006.—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 184/दो-2-7/2003.—श्री अरविन्द सिंह चन्देल, रजिस्ट्रार (सतर्कता) उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 185/दो-2-20/2006.—श्री आनन्द कुमार बेक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 186/दो-3-4/2008.—श्री नीलम चंद सांखला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 187/दो-2-2/2009.—श्री प्रदीप कुमार दवे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 188/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-11-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 189/दो-3-18/2007.—श्री डाक्टर लाल कटकवार, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-10-2013 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.
